

बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि०
(बिहार सरकार का उपक्रम)

कार्यालय आदेश

पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु आदेश ज्ञापांक-79, दिनांक-23.02.2018 द्वारा चयनित कर्मियों को निम्न प्रकार मुख्यालय/जिला खनन कार्यालयों में Enforcement Officer (प्रवर्तन अधिकारी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1.	श्री रमेश प्रसाद सिंह	मुख्यालय
2.	श्री शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	मुख्यालय
3.	श्री रमता प्रसाद सिंह	जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज
4.	श्री ललित कुमार सिंह	जिला खनन कार्यालय, सीवान
5.	श्री शम्भू शरण शर्मा	जिला खनन कार्यालय, सीवान
6.	श्री उद्धवजी सिंह	जिला खनन कार्यालय, छपरा
7.	श्री गिरिश कुमार अम्बष्ट	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर
8.	श्री नन्दू शर्मा	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर
9.	श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह	जिला खनन कार्यालय, गया
10.	श्री कृष्ण प्रकाश	जिला खनन कार्यालय, हाजीपुर
11.	श्री अजीत कुमार सिंह	जिला खनन कार्यालय, हाजीपुर
12.	श्री अजीत कुमार	जिला खनन कार्यालय, कैमूर
13.	श्री अब्दुल सत्तार सैफ	जिला खनन कार्यालय, रोहतास
14.	श्री अनिल कुमार प्रधान	जिला खनन कार्यालय, बेतिया
15.	श्री ब्रज बल्लभ सिंह	जिला खनन कार्यालय, बक्सर
16.	श्री हृदय नारायण सिंह	जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज
17.	श्री इन्द्रदेव चौधरी	जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर
18.	श्री अली हुसैन मियाँ	जिला खनन कार्यालय, मोतिहारी
19.	श्री कैलाश प्रसाद	जिला खनन कार्यालय, नालंदा
20.	श्री शशि कुमार शशि	जिला खनन कार्यालय, नवादा
21.	श्री राजेन्द्र राम	जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद
22.	श्री सीताराम चौधरी	जिला खनन कार्यालय, जहानाबाद

2. संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी, परन्तु सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से संविदा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं होगा, तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा। जिन रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन की जा रही है, उनपर नियमित नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो होगी, वही होगी। मासिक मानदेय की यह राशि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
- 5- संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।

6- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।

7- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(आनंद प्रकाश सिन्हा)

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित संविदा कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/महाप्रबंधक (वित्त एवं ऑपरेशन) बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....⁹⁷.....पटना, दिनांक^{23/11/18}.....

✓ प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)